तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2022	एकल–पीठ मंजू राजपाल, सदस्य उपस्थितः– (1) श्री वैभव पारीक, अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री हंगामीलाल चौधरी व श्री प्रदीप विश्नोई अभिभाषकगण अप्रार्थी की ओर से। ——— निर्णय यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी(जयपुर) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23–11–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार ग्राम पंचायत रेनवाल माजी ग्राम पंचायत समिति फागी नामान्तकरण संख्या 333 दिनांक 30–9–73 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या एक रामविलास ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जयपुर के समक्ष दिनांक 5–11–2005 को पेश की, जिसमें प्रार्थीगण के अभिभाषक ने निवेदन किया कि सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर पहले बहस सुनी जावे ,जिस पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 23–11–2006 को यह आदेश जारी किया कि धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम पर अन्तिम बहस एक साथ सुनी जावेगी, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थीगण की ओर से हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– विद्वान अभिभाषकगण की निगरानी पर बहस सुनी गयी। 4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों को नजर अन्दाज करके विवादित निर्णय प्रदान किया है। अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपील दिनांक 30–9–1973 नामान्तकरण संख्या 333 के विरुद्ध	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय में दिनांक 5–11–2005 को पेश की थी जो मियाद बाहर थी इसलिए सर्वप्रथम मियाद पर बहस सुना जाना आवश्यक था, इस तथ्य की ओर अपीलांट की ओर से निवेदन भी किया गया था लेकिन अपील न्यायालय ने विवादित आदेश जारी करके कानूनी त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 333 के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है और ना ही अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त रहा था । जिससे वह किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है। उनका यह भी तर्क है कि जहाँ अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी हो वहाँ पर सर्वप्रथम मियाद का प्रश्न तय करना अत्याधिक आवश्यक है। इसके बाद भी अपील न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करके कानूनी त्रुटि की है। उनका तर्क है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने एक नियमित वाद भी प्रस्तुत कर रखा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य था। अन्त में निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश को निरस्त कर तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम पर पहले बहस सुनी जाकर निर्णय प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया । अभिभाषक निगरानीकार ने तर्क किया कि निगरानी ग्राह्यता के पश्चात् उसकी संधारणीयता पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती। समर्थन में 2016 (2) आर.आर.टी. 1139, 2019 (1) आर.आर.टी. 92 एवं 2014 (1) आर.आर.टी. 252 पर अंकित पूर्व न्यायिक निर्णयों को संदर्भित किया। उनका तर्क है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ट विधिक प्रावधानों की अनदेखी करे तो उच्चतर न्यायालय को ऐसे अवैधानिक आदेश अपास्त करने का अधिकार है। समर्थन में उनके द्वारा 1993 आर.आर.डी. 598, 2015 आर.बी.जे. 652 एवं 2007 आर.बी.जे. 98 पर अंकित नजीरों को संदर्भित किया। अभिभाषक का तर्क है कि अगर अवैधानिक आदेश से पक्षकारान के हितों पर दुष्प्रभाव पड़ता हो तो निगरानी संधारणीय होने के तथ्य की पुष्टि 2014 (2) डी.एन.जे. (राज.) 826 (एच0सी0), 2009 आर.बी.जे. 242 (एच0सी0) व 2005 आर.बी.जे. 366 पर अंकित पूर्व न्यायिक निर्णयों से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होती है। अभिभाषक का तर्क है कि धारा 5 व 96 के प्रार्थनापत्र के प्रावधान बाध्यकारी हैं, इन्हें पूर्वनिर्धारित किए बिना प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्धारित किया जाना विधिक प्रावधानों की अनदेखी है। समर्थन में 2021 (2) आर.आर.टी. 851, 2021 (1), आर.आर.टी. 385, 2010 आर.बी.जे. 449, 2011 आर.आर.डी. 386 एवं 2008 (3) डी.एन.जे. (राज.) 1232 (एच0सी0) पर अंकित पूर्व न्यायिक निर्णयों का संदर्भ लिया। उनका कथन है कि धारा 22 सीपीसी के प्रावधान निगरानी के संदर्भ में लागू नहीं होते। अतः निगरानी को अबेट नहीं माना जा सकता। समर्थन में 2013 (1) आर.आर.टी. 260 पर अंकित पूर्व न्यायिक निर्णय का संदर्भ लिया। वैसे भी प्रकरण में एकमात्र म्होरूराम ही पक्षकार नहीं है। अतः अन्य पक्षकारान के रहते निगरानी को अबेट नहीं किया जा सकता। 5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि निगरानीधीन निर्णय उचित है क्योंकि अन्तिम बहस सुनने के पश्चात भी प्रार्थनापत्र धारा 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम पर मेरिट पर जाने से पूर्व निर्णय पारित किया जा सकता है। उक्त बिन्दु को ध्यान में रख कर ही निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है, सही है। अन्त में निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रकरण में अपील आंशिक लम्बित है, अतः धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में निगरानी संधारणीय नहीं है। दिनांक 21—6—2009 को म्होरूराम की मृत्यु हो चुकी है, अतः उसके वारिसान को रिकार्ड पर न लेने से आदेश 22 नियम 3 के तहत् यह निगरानी अबेट हो चुकी है। अप्रार्थीगण ने आदेश 22 नियम 4 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में वांछित कार्यवाही की है। उनका तर्क है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान विशिष्ट है, अतः सीपीसी की सम्बद्ध धाराओं के तहत् अग्रिम कार्यवाही बाध्यकारी नहीं है। उसे गुणावगुण पर प्रकरण साक्ष्य इत्यादि के पश्चात् सुना जाकर निस्तारित किया जा सकता है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अंतिम निर्णय से पूर्व निस्तारण करने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय का अभिमत विधिक प्रावधानों की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनदेखी करने की श्रेणी में नहीं आता है। 6— उभयपक्ष की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय की अपील संख्या 07 / 2005 से सम्बद्ध पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 23—11—2006 को धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पर बहस समायत कर पीठासीन अधिकारी ने आशय से अंकन किया है कि अंतिम बहस के समय उक्त प्रार्थना पत्रों की सुनवाई की जायेगी। जहाँ किसी इंतकाल के विरूद्ध 32 वर्ष पश्चात् अपील संस्थित की जाती है, वहाँ विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप अपील की ग्राह्यता से पूर्व ही मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्रों पर विचारण अपेक्षित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील की ग्राह्यता के समय उपरोक्तानुसार परीक्षण न कभी किया गया हो तो भी प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से लिखित ऐतराज़ कर इस आशय की प्रार्थना किए जाने पर उक्त विधिक प्रावधानों की अनदेखी न करके उभय पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। पत्रावली पर इस आशय की लिखित प्रार्थना प्रस्तुत होने पर जवाब लिया जाकर बहस भी उभयपक्ष की सुनी गई है परन्तु प्रार्थना पत्र के तथ्यों का विश्लेषण विधि के मंशानुरूप न किया जाकर पीठासीन अधिकारी ने महज एक पंक्ति में यह लिखा है कि अंतिम बहस के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जायेगा। इस न्यायालय के अभिमत में यह अंकन विधिक प्रावधानों की मंशानुरूप समुचित विवेचना के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को अपने आदेश से पूर्व आदेश तक पंहुचने की प्रक्रिया व तर्कसम्मत विवेचन से अपने आदेश के विधिसम्मत होने की पुष्टि करना अपेक्षित है। इंतकाल संख्या 333 दिनांक 30—9—1973 को पारित है, अतः तीन दशक से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत अपील पर मियाद संबंधी प्रावधानों की समीक्षा किया जाना पूर्व न्यायिक निर्णयों के मद्देनज़र बाध्यकारी है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी की पोषणीयता एवं जारी स्थगन पर पृथ्क से काई आपत्ति दौराने बहस नहीं की गई है। जहाँ तक प्रश्न म्होरूराम की मृत्यु पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विधिक वारिसान के कायम मुकामान की कार्यवाही से सम्बद्ध है, वहाँ यह स्पष्ट है कि निगरानीकार द्वारा तद्नुरूप आवश्यक कार्यवाही करवाना अपेक्षित है। निगरानीकार म्होरूराम की मृत्यु के तथ्य की जानकारी होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् पक्ष प्रस्तुति निगरानीकार का प्रथम दायित्व है। प्रकरण में अद्यतन प्रथम अपील का निस्तारण इस निगरानी में जारी स्थगन के मद्देनज़र किया जाना शेष है। अतः अधीनस्थ अपील न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 23–11–2006 निरस्त किये जाने योग्य है। 7– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी (जयपुर) द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23–11–2006 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण अपील की गुणावगुण पर सुनवाई करने से पूर्व किया जावे। साथ ही निगरानीकतार संख्या 2 ता 7 को निर्देशित किया जाता है कि म्होरूराम के कायम मुकामान की कार्यवाही विधिक मंशानुरूप अधीनस्थ न्यायालय के सम्मुख उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्रों पर बहस से पूर्व करवाने की कार्यवाही करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मंजू राजपाल) सदस्य	